

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

राज्य में कम्प्यूटरीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय स्टियरिंग कमिटी की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आदि की आपूर्ति के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेलट्रान), पटना को बिहार वित्त(संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 के अन्तर्गत "राज्य क्रय संगठन" नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

वित्त विभाग।

ज्ञापांक:- एम्-4-35/2002(खण्ड), 1904 वि०(२) / दिनांक-27.03.2006

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 500 प्रतियां वित्त प्रशाखा-4 को शीघ्र उपलब्ध करायी जायें।

ह०/-

(के० एम० शर्मा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- एम्-4-35/2002(खण्ड), 1904 वि०(२) / दिनांक-27.03.2006

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(के० एम० शर्मा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- एम्-4-35/2002(खण्ड), 1904 वि०(२) / दिनांक-27.03.2006

प्रतिलिपि:- औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेलट्रान), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(के० एम० शर्मा)

: संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- एम्-4-35/2002(खण्ड), 1904 वि०(२) / दिनांक-27.03.2006

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० एम० शर्मा)
संयुक्त सचिव